12.08.25

पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा अदालती कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रा० पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार-चौहान)
RAS